संख्या– 2114 /1–10–2008–12(73)/2007

प्रेषक,

जी0 के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चित्रकूट।

राजस्व अनुभाग –10 लखनऊः दिनांक 04 अप्रैल 2008

विषय :– प्रदेश के सूखाग्रस्त घोषित जनपद में प्राथमिक विद्यालय, पूर्व प्राथमिक विद्यालय, ए0एन0 एम0 सेन्टर हेतु सूखे से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 25.03.2008 में सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनपद चित्रकूट को आवश्यक पोषक तत्व/औषधि वितरण हेतु रखे गये प्रस्ताव पर लिये निर्णय के कम में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि रू0 40,00,000/– (रूपये चालीस लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03 –राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय प्रत्येक छात्र हेतु दवा की किट, प्रत्येक विद्यालय के लिये पेयजल विसंक्रमण हेतु आवश्यक क्लोरीन गोलियों का किट, प्रत्येक विद्यालय के लिये प्रत्येक छात्र हेतु औषधि की किट, उपकेन्द्र पर रखे जाने हेतु एएनएम किट, आशा कार्यकत्रियों हेतु औषधि किट, प्रत्येक परिवार के लिये पेयजल विसंक्रमण हेतु आवश्यकतानुसार क्लोरीन गोलियों की किट मद में किया जायेगा परन्तु धनराशि व्यय करने से पूर्व मदवार प्रस्ताव अनिवार्य रूप से तैयार कराते हुए प्रस्ताव की प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

–2–

4. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को पूर्व में भी सूखे के मद में जो धनराशि स्वीकृत की गयी है उसके सापेक्ष औषधि की किटो का वितरण शत प्रतिशत सुनिश्चित किया जाय तथा वितरण की प्रगति की जानकारी मण्डलायुक्त तथा जनपद स्तर पर विशेष जांच टीम गठित करते हुए स्थलीय निरीक्षण कराकर की जाय। पर्यवेक्षीय अधिकारी की जांच रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित शासन को अनिवार्य रूप से 15 दिन में उपलब्ध कराया जाय।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल इस वित्तीय वर्ष में दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहूँचाने के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षो के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

6. राहत धनराशि का व्यय गांवों में व्यापक प्रचार–प्रसार के बाद पर्यवेक्षीय अधिकारियों एवं स्थानीय जन–प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाए। व्यय धनराशि की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़ कर सुनाया भी जाए।

7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आंवटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तब्य की इति कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तद्नुसार विभागों को धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक माह की पांच तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अंत में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय–विवरण शासनादेश संख्या–1693/1–11–2005–रा0–11 दिनांक 20 जून,. 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचतें संभावित हों तो उन्हें दिनांक 25 मार्च, 2009 तक शासन को अवश्य सूचित करते हुए वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित कर दिया जाए।

—3—

9. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

10. दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाए तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

11. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी0 के0 टण्डन)

राहत आयुक्त एवं सचिव।

संख्या –2114 (1)/1–10–2008–12(73)/2007, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मण्डलायुक्त, चित्रकूट ।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, चित्रकूट ।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग –5
8. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी (दो प्रतियां)/राजस्व अनुभाग –6/11
9. चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राज किशोर यादव)